सं.ई.-11016/1/2016-हिन्दी/502-600

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 2016

सर्कुलर

विषय : मूल रूप से हिन्दी में काम करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर मंत्रालय के सभी संगठनों/अनुभागों/अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.07.2016 को आयोजित बैठक में मंत्री महोदया ने यह निदेश दिया था कि मंत्रालय में तथा मंत्रालय से जुड़े सभी संगठनों में मूल रूप से काम हिन्दी में होगा। इस निदेश के पालन के लिए आर्थिक सलाहकार /राजभाषाप्रभारी की ओर से दिनांक 04 अगस्त , 2016 को यह आदेश जारी किया गया था कि मंत्रालय के सभी अनुभाग तथा संगठन सभी दस्तावेज़ पहले हिन्दी में तैयार करें और अगर जरूरत हो तो अन्य भाषा में जैसे अंग्रेजी में तैयार कर सकते हैं। साथ ही फाइलों पर नोटिंग सिर्फ हिन्दी में की जाए।

2. उपर्युक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य (perspective) में सभी अनुभागों/संगठनों से उम्मीद है कि वह अपने सारे काम हिन्दी में करें और अनुवाद के लिए मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में कोई काम नहीं भेजें।

(के.एम.एम.अलिमाल्मिगोती)

आर्थिक सलाहकार/राजभाषाप्रभारी

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क/सैल।
2. मंत्रालय के सभी संगठनों के प्रमुख ।
3. निदेशक (एन.आई.सी.) ज.सं.न.वि.गं.सं. मंत्रालय को परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।